**मुझे बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट क्यों खोलना चाहिए?**

- बैंक अकाउंट में रखा गया धन सुरक्षित होता है.
- बैंक अकाउंट में बचत किए गए धन पर आपको ब्याज मिलता है.
- आप किसी भी समय, कहीं भी धन निकासी कर सकते हैं और आपात् स्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं.
- आप बैंक अकाउंट खोलने के बाद लोन्स और डिपॉजिट्स (कर्ज और जमा) जैसे अन्य उत्पादों का लाभ ले सकते हैं.

**बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट के क्या फायदे हैं?**

बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स शून्य बैलेंस वाले खाते हैं और इसीलिए अकाउंट (खाता) खोलने के लिए शुरुआत में कोई राशि जमा करने की जरूरत नहीं होती. जब कभी जरूरत पडती है तब बैंक में धन जमा कराया या निकाला जा सकता है.

**मैं अपने एटीएम / डेबिट (रूपे) कार्ड ) का उपयोग कैसे कर सकता हूँ?**

अकाउंट खोलते समय एटीएम / रूपे कार्ड दिया जाएगा. आप किसी बैंक के एटीएम से धन निकालने के लिए इस कार्ड का उपयोग 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं. आप जब चाहें आपका धन आपके हाथों में होगा. इसके अलावा इस कार्ड पर रू. 1 लाख का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर भी होगा.

**अकाउंट खोलने के बाद अन्य कौन से उत्पाद हैं जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूँ?**

- फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स (सावधि एवम् आवर्ती जमा)
- किसान क्रेडिट कार्ड
- कृषि लोन, ट्रैक्टर लोन और अन्य खेती के उपकरणों के लिए लोन
- धन अंतरण (मनी ट्रान्सफर)

### इस अकाउंट में अन्य कौन सी सुविधाएँ हैं?

अकाउंट पर 6 महीने तक संतोषजनक कार्य (व्यवहार) दिखाने के बाद बैंक वैकल्पिक रूप से ओवरड्राफ्ट सुविधा देने पर विचार कर सकता है जिसकी शुरुआत रू. 1000 से होगी. ओवरड्राफ्ट का ब्याज नियमित भरने पर ओवरड्राफ्ट की राशि को रू. 5000 तक बढ़ाया जा सकता है.

### क्या मैं अपने आधार नंबर के साथ अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट को जोड़ सकता हूँ?

जी हाँ, आधार नंबर को सेविंग्स बैंक अकाउंट से जोड़ा जा सकता है और आधार पर आधारित सब्सिडियों जैसे एसएसपी, एलपीजी, मनरेगा, को आधार नंबर के अनुसार सीधे इस अकाउंट में प्राप्त किया जा सकता है. सरकारी सब्सिडियाँ पाने के लिए आधार नंबर बैंक अकाउंट में और स्कीम चला रहे सरकारी विभाग दोनों जगहों पर अद्यतनीकृत किया जाना चाहिए.

### अकाउंट खोलने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

अकाउंट खोलना एक आसान प्रक्रिया है. आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड, आधार कार्ड या सरपंच का पत्र आवश्यक दस्तावेज के रूप में जमा करा सकते हैं.